छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर
–::अधिसूचना::–

नवा रायपुर, दिनांक /10/2022

क्र......................../एफ–7–35/एस–2/31/2016 : राज्य शासन एतद् द्वारा सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित करता है :–

(i) नहरों के सर्विस बैंक पर डब्ल्यू.बी.एम./डामरीकरण अथवा कांक्रीटीकरण कार्य विभागीय मद से नहीं कराए जायेंगे।

(ii) सर्विस बैंक में पक्की सड़क बनाया जाना आवश्यक होने पर सड़क बनाने से संबंधित विभाग यथा लोक निर्माण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उनके विभागीय बजट में प्रावधान अनुसार प्रस्तावित किए जावें।

(iii) सर्विस बैंक में सड़क निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य संपादित किए जावें।

(iv) पूर्व से निर्मित पक्की सड़कों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराया जायेगा।

(v) नहर के सर्विस बैंक अथवा जल संसाधन विभाग की सड़क निर्माण हेतु प्रयुक्त भूमि का स्वामित्व जल संसाधन विभाग का ही रहेगा।

[redacted]

(vi) नवीन प्रस्तावित अथवा पूर्व से निर्मित सड़कों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार आदि के लिये जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों, जिला प्रशासन को प्रदान की जायेगी।

(vii) सड़क निर्माण करने वाले विभाग/एजेंसी द्वारा यह ध्यान रखा जावें कि नहर के मूल स्वरूप/संरचना को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो और न ही प्रस्तावित कार्य से नहर का संचालन संधारण बाधित होगा।

(viii) जहां प्रस्तावित निर्माण की प्रकृति ऐसी हो, जिससे नहरों का संचालन प्रभावित होनें की संभावना हो वहां सड़क–निर्माण का कार्य डिपॉजिट–वर्क के रूप में जल संसाधन विभाग से ही कराए जाने पर विचार किया जावे।

राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. 5206/एफ–7–35/एस–2/31/2016, नवा रायपुर, दि. 02/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर–अटल नगर की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त अधिसूचना को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन करवाने का अनुरोध है।
4. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,

[redacted]

5. सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. सचिव, छ.ग.शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर
9. समस्त मुख्य अभियंता, ...ज. सं. विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर
10. समस्त कलेक्टर, जिला–...(छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. उप संचालक, छत्तीसगढ़ शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन परिसर, नवा रायपुर–अटल नगर की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 100 प्रतियों का प्रदाय विभाग को शीघ्र करने का कष्ट करें।

02/11/22
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
3 NOV 2022

D:\D2-WRD (SR)-2022\Hindi letter AK.doc